प्रेषक,

अनुपम शुक्ला,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्युत सुरक्षा उ0प्र0,
गोमती नगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 26/02/2024**

विषयः ''कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020'' के प्रस्तर-5.6 एवं 5.7 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को 10 वर्ष हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना दिनांक 14.08.2020 द्वारा ''कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020'' का प्रख्यापन किया गया है।

2- उक्त नीति में ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित प्राविधान हैं:-

प्रस्तर-5.6

इस नीति में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष हेतु 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

प्रस्तर-5.7

इस नीति में स्थापित होने वाले नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा स्वयं प्रयोग हेतु कैप्टिव पॉवर
प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत को 10 वर्ष हेतु 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को 10 वर्ष हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नःयथोक्त।

भवदीय,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।